E Content for the student of Patliputra University

Sub- Political Science

B.A (Hons.) Part I Paper II

Topic - Direct Democracy in Switzerland

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Political Science
R.R.S. College Mokama.

स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था अनेक अनोखे प्रावधानों से भरा हुआ है। बहुलवादी चरित्र के बावजूद कार्यपालिका Federal Council का संगठित एवं मजबूत ढाँचा। विरोधी पक्ष की अनुपस्थिति के बाद भी लोकतंत्र का मजबूत आधार आदि। इन्हीं में स्विस संवैधानिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है - प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए कुछ प्रावधानों का अपनाया जाना। वर्तमान समय में जब सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर लोकतंत्र के प्रत्यक्ष स्वरूप को अप्रासंगिक मान लिया गया है, वहीं कुछ प्रावधानों के आधार पर स्विट्जरलैंड वर्षों से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दावा सफलतापूर्वक कर रहा है।

स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था में इसके लिए तीन प्रावधान किये गये हैं -

(I) आरम्भ (Initiative)
(II) जनमत संग्रह (Referendum)
(III) नगर सभा (Landsgemeinde)

1 आरम्भण (Initiative) :- इस प्रावधान को अपनाये जाने के पीछे का सिद्धांत यह है कि विधायिका और उसके सदस्यों पर कानून निर्माण की जिम्मेवारी है। जनता स्वयं किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यकता समझे तो स्वयं कानून बनाने की प्रक्रिया आरम्भ नहीं कर सकती है। ब्रिटेन और अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इसका प्रावधान नहीं है। कानून निर्माण के लिए हमेशा विधायकों पर निर्भरता की स्थिति को स्विस संविधान का यह प्रावधान नकारता है और जनता को कानून बनाने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अधिकार देता है। स्विट्जरलैंड

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रकार का अवलोकन देता है। इस प्रावधान के द्वारा स्वीटजरलैंड की जनता विधायिका और चुने हुए प्रतिनिधियों के कानून बनाने के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रावधान के द्वारा मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करते हुए स्वयं अपने लिए आवश्यक कानून बनाने की पहल कर सकती है। स्वीटजरलैंड का यह प्रावधान लोकतंत्र की जन संप्रभुता की स्थिति से साक्षात्कार कराती है। इस प्रावधान के द्वारा सामान्य कानून बनाये या बदले जा सकते हैं तथा संविधान संशोधन भी किये जा सकते हैं।

आरम्भण का प्रस्ताव दोनों रूपों में भेजा जा सकता है - पूरी तरह बनाई हुई (Formulated) या केवल मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करते हुए (Unformulated). संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव - आंशिक या पूर्ण का प्रस्ताव 50000 मतदाताओं तथा सभी कैंटनों के अलग अलग निर्धारित मतदाताओं की संख्या से प्रस्तावित होना चाहिए। उस प्रस्ताव पर संघीय परिषद् इस पर कानून का प्रारूप बनायेगी और वह जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए भेजा जायेगा। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी मानी जाती है तथा विधायन निर्माण का कार्य सफल समझा जाता है। इस प्रक्रिया के संदर्भ में Hans Huber ने ठीक ही कहा है - "It is right of voters to propose an amendment to the constitution, the drafting of a law or a ~~single~~ single constitutional or legal ordinance, or to demand a popular vote upon it."

2. Referendum (जनमत संग्रह) - स्वीटजरलैंड में कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में जनमत संग्रह की पुरानी परम्परा है। जहाँ आरम्भण की प्रक्रिया ~~1778~~ 1892 में अपनाई गई वहाँ जनमत संग्रह 1778 में ही अपनाई गई थी। इसके अन्तर्गत विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों पर जनमत संग्रह कराकर अर्थात मतदाता के बहुमत की स्वीकृति से कानून निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई मानी जाती है।

Scanned with CamScanner

संविधान संशोधन चाहे आंशिक हो या पूर्ण सबों में जनमत संग्रह अनिवार्य है। सामान्य कानूनों के निर्माण में कम से कम 30000 मतदाता या 8 कैंटनों की माँग पर जनमत संग्रह अनिवार्यतः कराया जाता है।

इस प्रकार कानून निर्माण की प्रक्रिया में जनमत संग्रह स्विस जनता को बहुत बड़ा हथियार है। विधायिका पर नियंत्रण रहे यह स्पष्ट कर देता है कि विधायन कार्य अन्तिम रूप से विधायिका के पास नहीं है बल्कि जन संप्रभु के पास है, जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में होता है।

3. नगर सभा (Landsgemeinde) – प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तीसरा उदाहरण पाँच छोटे कैंटनों में देखने को मिलता है, जहाँ कि आबादी काफी कम है और वहाँ मतदाता अपनी नगर सभा में बैठक कर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

स्विस संवैधानिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपर्युक्त प्रावधान के कई गुण हैं–

इसके द्वारा मतदाताओं के विचारों एवं निर्णयों को प्रभावी ढंग से समझा जा सकता है। निर्वाचित संस्थाएँ इस प्रावधान के कारण जन संप्रभु के नियंत्रण में रहते हैं। इस प्रावधान के कारण सरकार और जनता दोनों प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं। इससे जनता में जागरूकता बढ़ती है, वे दायित्व बोध के प्रति सजग होते हैं।

इन गुणों के बावजूद आलोचक कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं– इससे विधायिका की प्रतिष्ठा एवं दायित्व को ठेस पहुँचती है। जनता कानूनी प्रावधानों की पहलुओं को समझे बगैर यह दायित्व ले लेती है। जनमत संग्रह का मतदान – "हाँ" या "नहीं" में होता है, इससे जनमत का सही आकलन नहीं होता है।

गुणों तथा त्रुटियों के आकलन के बावजूद स्विस संवैधानिक प्रावधान की इस व्यवस्था की जितनी प्रशंसा की जाय, कम होगी। इस कारण उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का आदर्श माना जाता है।